न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/286

1. सुभाष पुत्र श्री भागीरथ जाट जाति जाट निवासी ग्राम भांकरी तहसील पावटा जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर, राजस्थान।
2. सरकार जरिये तहसीलदार पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर, राजस्थान।
3. प्रभारी अधिकारी, आंगनबाडी केन्द्र भांकरी ग्राम भांकरी तहसील पावटा जिला जयपुर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. अपीलार्थी स्वयं
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 11.07.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.03.2022 एवं आवंटन आदेश क्रमांक 55—56 दिनांक 21.10.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कतई ध्यान नही दिया कि जब विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1075 व 1076 स्थित ग्राम भांकरी तहसील पावटा पर गत 20 वर्षो से अधिक समय से अपीलान्ट व उसके ताऊ सूरज पुत्र गणेश, बोदू, श्यामलाल पुत्रान गणेश का कब्जा चला आ रहा है ऐसे में आवंटी को वरवक्त आवंटन दिनांक 25.10.2021 को कब्जा कैसे सुपुर्द किया गया तथा कब्जे सुपुदर्गी के अभाव में किया गया आवंटन पूर्णतयः अवैध, शून्य तथा क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि आवंटन करते समय आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियम 1957 एवं 1970 के नियमों की कतई कोई पालना नही की गई तथा बिना कोई अद्घोषणा जारी किये तथा बिना कब्जे काश्त आदि की समुचित जांच किये ही चिकित्सा उप स्वास्थ्य केन्द्र भाकरी को अनुचित लाभ पहुँचाने की दृष्टि से उक्त खसरा नम्बरान 1075 व 1076 उनके पक्ष में आवंटन करने की उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा अवैध व प्रारम्भतः शून्य आवंटन कार्यवाही की गई जो सरासर अवैध व क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर दिनाकं 07.03.2022 एवं आवंटन आदेश क्रमांक 52—56 दिनांक 21.10.2021 उपखण्ड अधिकारी पावटा बाबत खसरा नम्बर 1076/0.33 किस्म बारानी स्थिति ग्राम भांकरी तहसील पावटा निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण आवंटन सम्बन्धी सम्पूर्ण जांच हेतु अधीनस्थ न्यायालय को उचित दिशा—निर्देश देते हुए प्रतिप्रषित (रिमाण्ड) फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि हैं जिस पर अपीलार्थी एक अतिक्रमी था जिसे मौके से बेदखल किया जा चुका है एवं हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट की कोई लोकस स्टेण्डाई नही उसके बावजूद अपीलान्ट द्वारा राजकीय भवनों हेतु आवंटित की गई भूमि के सम्बन्ध में बिना किसी लोकस स्टेण्डाई के अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलान्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि उपखण्ड अधिकारी पावटा ने अपने आदेश दिनांक 21.10.2021 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत चिकित्सा उप स्वास्थ्य केन्द्र भांकरी को भवन निर्माण हेतु आवंटन किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 प्रस्तुत किया गया था जो बाद परीक्षण राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित नही होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत विधिक रूप से पोषणीय नही होने से राजस्थान भू राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत आवंटन को विधि सम्मत मानते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी जो सिवायचक भूमि थी की खातेदारी हेतु अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा घोषाणा/नियमन इत्यादि की कार्यवाही की गई हो जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि सिवायचक है तथा प्रथम दृष्टया अपीलान्ट की उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई लोकस स्टेण्डाई नही है। पूर्व में अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई तथा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस ही न्यायिक दृष्टान्ट आरआरडी 1974 पृष्ट संख्या 50, डीएनजे 2022 पृष्ट 1959 एवं डीएनजे 2022 पृष्ट 41 की प्रति पेश कर कथन किया है कि प्रकरण में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही न्यायालय श्रीमान् द्वारा किया जाना न्यायोचित नही है जिसका विरोध करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि केवल मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पर टिप्पणी चाही गई थी जो न्यायालय श्रीमान् द्वारा राजस्व मण्डल को भिजवाई जा चुकी है तथा न्यायालय श्रीमान् की कार्यवाही पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन नही है। ऐसे में प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावें। उन्होने अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 1987 पेज 497, आरआरडी 1995 पेज 106 पेश किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त में अपीलान्ट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्ट की विवेचन करते हुए यह निर्धारित किया गया है कि मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में कोई स्टे नही हो तब तक कार्यवाही स्थगित नही की जा सकती और प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा सकता है। हस्तगत विचाराधीन प्रकरण में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पूर्व में अपीलान्ट के नवीन अधिवक्ता ने बहस के दौराने ही प्रार्थना पत्र मुन्तकिली की प्रति पेश की तब तक रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा बहस की जा चुकी थी। स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत रिविजन संख्या 5639/2022 उनवान सुभाष बनाम ऑफिसर इन्चार्ज आंगनबाडी केन्द्र के निर्णय दिनांक 14.02.2023 द्वारा स्थगन जारी करते हुए प्रकरण का दो माह में आवश्यक रूप से निस्तारण किये जाने के आदेश न्यायालय हाजा को दिये गये है जिसकी पालना में ही नजदीक की तारीख पेशीयॉ दी जाकर विधि सम्मत न्यायिक कार्यवाही की जा रही थी किन्तु उक्त निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अपीलान्ट के अधिवक्ता बहस हेतु बार–बार अवसर लेते रहे है एवं अंतिम अवसर लेने के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा अपना अधिवक्ता बदला गया। अपीलान्ट के नवीन अधिवक्ता को भी अवसर देने के पश्चात् भी उनके द्वारा प्रकरण में बहस नही की जा रही है एवं ट्रान्सफर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को येन–केन प्रकरेण लम्बा करना चाहते है। आरआरडी 1995 पेज संख्या 106(रामा बनाम नाथद्वारा मंदिर व अन्य) के तथ्य इस प्रकरण से मिलते–जुलते है तथा प्रकरण में एक पक्ष की बहस सुनी जा चुकी थी एवं अपीलान्ट द्वारा बार–बार बहस हेतु समय लेकर फिर अधिवक्ता बदलकर, ट्रान्सफर प्रार्थना पत्र लगाकर प्रकरण के अंतिम निर्णय में देरी करने की नियत स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग एवं प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है जबकि प्रकरण में अपीलान्ट की किसी प्रकार की लोकस स्टेण्डाई ही नही है। तहसींलदार पावटा द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट में भूमि आवंटन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर के आवंटन नियम 1963 के अर्न्तगत आवंटन आदेश क्रमांक 52–56 दिनांक 21.10.2021 द्वारा भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चिकित्सा उप स्वास्थ्य केन्द्र भांकरी को किया गया है। अपीलार्थी या अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत या किसी दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नही किये गये है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत भी होता हो कि उनका इस भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हित निहित हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के आदेश दिनांक 07.03.2022 एवं उपखण्ड अधिकारी पावटा का आवंटन आदेश क्रमांक 52–56 दिनांक 21.10.2021 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त 11/7/23
जयपुर